भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *133
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

स्मार्ट फ़ोन का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए विशेष मोबाइल फ़ोन प्लान

***133. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:**
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विशेषत: स्मार्ट फ़ोन का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए बनाए गए विशेष मोबाइल फ़ोन प्लान शुरू करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार स्मार्ट फ़ोन का उपयोग न करने वाले लोगों को किफायती डेटा पैकेज और इंटरनेट सुलभता प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवाओं हेतु स्मार्ट फ़ोन पर निर्भर न रहने वाली आबादी के अनुपात का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया है;

(घ) क्या सरकार स्मार्ट फ़ोन का उपयोग न करने वाले लोगों को किफायती और उपयुक्त मोबाइल योजनाओं का लाभ लेने में आने वाली संभावित बाधाओं को पहचानती है, यदि हां, तो इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) सरकार निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को स्मार्ट फ़ोन का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए प्लान लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किन उपायों पर विचार कर रही है; और

(च) क्या सरकार का स्मार्ट फ़ोन का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के माध्यम से किफायती और सुलभ मोबाइल योजनाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए नियामक उपायों या प्रोत्साहनों को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

<u>स्मार्ट फोन का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए विशेष मोबाइल फोन प्लान के संबंध में दिनांक 04 दिसंबर, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 133 (पोजीशन नं. 13) के भाग (क) से (च) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण</u>

(क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अनुसार दूरसंचार टैरिफ को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) विनियमित करता है। मौजूदा विनियामक टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार कुछ सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ फॉर्बेरन्स के अंतर्गत हैं।

*****